न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर.ए.एस

निगरानी सं0 11/16 दायर दिनांकः 21.04.2016

अनवान :– महेन्द्र सिह पुत्र खिराजराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र खिराजराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

–असल गैर निगरानीकर्ता

2. सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ पंचायत समिति नोहर।

–गौण गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.02.2016 को अपास्त करने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री मांगेराम गोदारा, अभिभाषक प्रार्थी

2. श्री राजपाल सिंह झोरड, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 06.06.2018

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः–

अप्रार्थी हरीसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत कर प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 25.12.2004 खारिज करने हेतु प्रस्तुत की। अपील में लिखा की 30 गुणा 36 फुट का भूखण्ड उसका खरीदशुदा है। उक्त स्थान पर अप्रार्थी ने फर्जी पट्टा बना लिया है। निगरानीकर्ता ने निवेदन किया कि उसका रिहायशी मकान 35 गुणा 42 फुट का है। जिसका

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कीमतन पट्टा ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा दिनांक 25.12.2004 को जारी किया था। प्रार्थी के मकान का दरवाजा उतर दिशा मे खुलता है तथा प्रार्थी के मकान के उतर में 30 वर्ष पुराना कब्जेशुदा नोहरा भी है जिसे वह उपयोग में ले रहा है। अप्रार्थी व उसके पिता उसके रिहायशी मकान व नोहरा पर बलपुर्वक कब्जा करने व फर्जी दस्तावेज पर बेचने का प्रयास करने पर अप्रार्थी के विरूद्ध सिविल न्यायालय में भी वाद दायर किया था जिसका निर्णय उसके पक्ष में हो चुका था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की अनुपस्थिती में निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का पट्टा खारिज कर दिया। अप्रार्थी का पट्टा बहाल रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति द्वारा उसके भूखण्ड का कभी भी मौका निरिक्षण नही किया फिर भी निर्णय में मौका निरिक्षण का अंकन किया है जो राजनैतिक प्रभाव में आकर तैयार किया हैं। बिना मौका मुआयना के निर्णय पारित कर कानूनी बिंदु की अहम भूल की है व प्रार्थी का पट्टा दिनांक 25.12.2004 को फर्जी मानकर पट्टा खारिज किया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने प्रशासन स्थाई समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि उसका रिहायशी मकान 35 गुणा 42 फुट का है जिसका कीमतन पट्टा जारी किया गया है। परन्तु उक्त समिति द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज किया गया है। सिविल न्यायालय से भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णय हो चुका है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति का निर्णय दिनांक 02.02.2016 खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थी के पट्टे को बहाल रखते हुए अप्रार्थी का पट्टा खारिज किया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड व अप्रार्थी की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व व अधिपत्य का पट्टेशुदा भूखण्ड 35 गुणा 42 फुट का रामगढ ग्राम में स्थित था। उक्त भूखण्ड पर उसके मकान आदि बने हुए है व मौके पर रिहाईश भी कर रहा है। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति द्वारा कभी भी प्रार्थी के भूखण्ड का मौका निरिक्षण नही किया गया। मौका रिपोर्ट राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव में आकर तैयार की गई है ना ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है। निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 07.06.2004 ग्राम पंचायत ने विधि सम्मत तरीके से मिसल बनाकर कीमतन जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पट्टे को फर्जी मानकर अहम भूल की है। यह भी निवेदन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य इसी पट्टेशुदा भूखण्ड को लेकर माननीय सिविल न्यायालय नोहर में एक सिविल वाद भी जैरकार है। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थन पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया था जो स्वीकार होकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.06.2016 को विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर प्रार्थी का पट्टा खारिज किया है। निर्णय दिनांक 02.02.2016 को खारिज कर प्रार्थी का पट्टा बहाल करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी का आवासीय भूखण्ड ग्राम रामगढ में 30 गुणा 36 का स्थित है जिसका पट्टा सं. 25 दिनांक 30.12.1997 को ग्राम पंचायत द्वारा राशि जमा करवाकर पट्टा दिनांक 19.03.1998 को जारी किया था। उपरोक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का स्वामित्व है। अप्रार्थी ने उक्त भूखण्ड पर तामिर करनी चाही तो प्रार्थी ने तामिर नही करने दी और कहा कि उक्त स्थान का पट्टा उसके नाम से है। प्रार्थी महेन्द्रसिंह ने उक्त पट्टा फर्जी जारी करवाया है। जबकि उक्त स्थान पर अप्रार्थी का पट्टा ग्राम पंचायत ने वर्ष 1998 में ही जारी कर दिया था। जब तक ग्राम पंचायत पूर्व में जारी पट्टे को निरस्त नही करती तब तक उक्त स्थान का दुसरा पट्टा किसी अन्य के नाम से जारी नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति द्वारा मौका निरिक्षण कर मौके पर अप्रार्थी का कब्जा भी था। इसी आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस सुनी। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। विवादित स्थल का नजरी नक्शा जो बनाया गया है जिसके अवलोकन से यही सिद्ध होता है कि 34 गुणा 37 का विवादित भूखण्ड है मौके पर भूखण्ड खाली होने का अंकन किया है व कुडा करकट डालना हरीसिंह अप्रार्थी का बताया है जिससे कब्जा साबित नही होता, जबकि प्रार्थी का कथन है कि उसका उक्त भूखण्ड पर मकान बना हुआ है। परन्तु नजरी नक्शे में यह कहीं नही दर्शाया है। साथ ही यह भी साबित है कि सिविल न्यायालय में जब भूखण्ड के संबंध में वाद विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में हक तैय तो सिविल न्यायालय द्वारा ही किये जा सकेंगे साथ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

ही सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वार पारित निर्णय विधि के विरूद्ध है।

अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2016 अपास्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर

अतिरिक्त कलक्टर
नोहर